

समाज कल्याण विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
जीएलएनएस कॉम्पलेक्स, दिल्ली गेट, नई दिल्ली-02
(प्रश्न शाखा)

फा.स.59.(60)/स.क.वि./पी.आर.ओ./वि.स.प्र./2021.22/पार्ट-1/18252-18254 दिनांक: 30 DEC 2021

सेवा में

✓ श्रीमान उप-सचिव (प्रश्न शाखा)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

दिल्ली-110054

विषय- अतारांकित प्रश्न संख्या- 167 दिनांक 04.01.2022

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में दिल्ली विधान सभा से प्राप्त ई-मेल दिनांक 27.12.2021 जो कि इस विभाग से संबंधित है।

अतः सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के उपरांत उत्तर प्रेषित किए जाते हैं।

भवदीय

ड. शास्त्री

उप-निदेशक (दिव्यांगजन / आरजीओ)

संलग्न-उपरोक्तानुसार

फा.स.59.(60)/स.क.वि./पी.आर.ओ./वि.स.प्र./2021.22/पार्ट-1/18252-18254 दिनांक: 30 DEC 2021

1.निदेशक, सूचना एवं प्रसार निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली-1100054.

2.सचिव, माननीय मंत्री (समाज कल्याण), दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली-02.

ड. शास्त्री

उप-निदेशक (दिव्यांगजन / आरजीओ)

समाज कल्याण विभाग
मूक एवं बधिर विद्यालय परिसर
दिल्ली गेट, नई दिल्ली-110002

अतारांकित प्रश्न संख्या - 167

दिनांक - 04/01/2022

प्रश्नकर्ता - श्री महेन्द्र यादव

क्या माननीय समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

	प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या विधवा, विकलांगता व वृद्ध पेंशन से जुड़ी समस्याओं व शिकायतों के निवारण के लिए विभाग की कोई विशेष हेल्पलाइन चलाई जाती है;	वृद्धजनों के लिये हेल्पलाइन- 14567-एन0आई0एस0डी0, समाज कल्याण विभाग (दिल्ली सरकार) व हेल्पऐज-इण्डिया (स्वयं सेवी संस्था) के त्रिपक्षीय अनुबंध के अन्तर्गत वृद्धजनों के लिये हेल्पलाइन-14567 चलाई जा रही है, जिसके तहत वृद्धजनों को विभिन्न प्रकार की सहायताएं, सूचनाएं एवं सुविधायें प्रदान की जा रही हैं ।
(ख)	क्या सरकार पेंशन लाभार्थियों की शिकायतों के समयबद्ध निपटारे हेतु कोई विशेष पोर्टल या ऑनलाइन करने की सरकार की कोई योजना है;	साथ ही आम जनता की पेंशन संबंधी समस्याओं व शिकायतों का कार्यालय ई-मेल एवं पत्राचार के माध्यम से भी समाधान करने का प्रयास किया जाता है । इन्क्वायरी विन्डो पर भी व्यक्तिगत रूप से लाभार्थी /प्रार्थी अपनी समस्या प्रस्तुत कर सकता है । इसके अतिरिक्त दिल्ली सरकार द्वारा लाभार्थियों की शिकायतों के समयबद्ध निपटारे हेतु ऑनलाइन पोर्टल जैसे PGMS, LG Listening Post इत्यादि की सुविधा उपलब्ध है । जिस पर आम जनता/प्रार्थी/लाभार्थी की शिकायतों व समस्याओं का नियमित रूप से कार्यालय कर्मचारियों द्वारा निपटारा किया जाता है ।
(ग)	यदि हाँ, तो कब तक, और	उपरोक्त 'क' एवं 'ख' के अनुसार ।
(घ)	यदि नहीं, तो शिकायत निवारण की वर्तमान में क्या व्यवस्था है तथा भविष्य के लिए सरकार की क्या योजना है?	

Deputy Director (FAS)
Department of Social Welfare
Govt. of NCT of Delhi